न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

रत्तीराम ....बनाम........ रामसिंह

मु.नं.– 55/25   किस्म – T.A.</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>15/7/25
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। प्रा.पत्र T.A. पर प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.A. दिनांक 24.7.25 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

24.7.25
पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ नथी हो।
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)</td><td></td></tr>
</table>

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
55/2024	23.08.2024	24.07.2025

बउनवान

1. रत्तीराम पुत्र जौहरी, निवासी अलीपुर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र जयनारायण, निवासी अलीपुर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. हरिप्रसाद पुत्र जयनारायण, निवासी अलीपुर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. कमला पुत्री जयनारायण पत्नी जैन, निवासी टहटडा, तहसील रैणी, अलवर।
4. धवली पुत्री जयनारायण पत्नी जगदीश निवासी सायपुर तहसील महवा, दौसा।
5. प्रेम पुत्री जयनारायण पत्नी पप्पूराम, निवासी टहटडा, तहसील रैणी, अलवर।
6. मौसम पुत्री जयनारायण पत्नी रामनिवास, निवासी सायपुर, तहसील महवा दौसा।
7. रेशम पत्नी उमेदी, निवासी अलीपुर तहसील बैजूपाडा दौसा।
8. लाखन बाई पत्नी बनवारी, निवासी अलीपुर, तहसील बैजूपाडा दौसा।
9. उप–पंजीयक बैजूपाडा।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार बैजूपाडा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री खेमसिंह गुर्जर।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1,7,8 – श्री राजूलाल मुराडिया।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी कि भूमि विवादित आराजीयात खाता सं. 174 की आराजी खसरा सं. 428 रकबा 0.28 हैक्टे., 551 रकबा 0.52 हैक्टे., 553 रकबा 0.34 हैक्टे., 554 रकबा 0.57 हैक्टे., 555 रकबा 0.35 हैक्टे., 556 रकबा 0.30 हैक्टे., 557 रकबा 0.32 हैक्टे., 558 रकबा 0.17 हैक्टे., 559 रकबा 0.32 हैक्टे. कुल किता 09, कुल रकबा 3.17 हैक्टे. वाके ग्राम अलीपुर, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिसका आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर रखा है तथा उसी के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। विवादित आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा अन्य अप्रार्थीगण का जमाबंदी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सभी अपने–अपने हिस्से के अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी का अभी

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण सभी मिलकर प्रार्थी को उनके हिस्से की आराजी में आये दिन व्यवधान पैदा करते रहते है तथा उक्त आराजी का बिना विधिवत बंटवारा कराये ही किसी दीगर व्यक्तियो को अपने हिस्से का बेचान करना चाहते हैं तथा कुछ अप्रार्थीगण अपने हिस्से से भी अधिक भूमि पर पुख्ता निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करना चाहते है। जब प्रार्थी उनसे कुछ भी कहते है तो वह नहीं मानते हैं तथा पुख्ता निर्माण रहन बय करने की धमकी देते है। आये दिन डोल–मेड को तोड़ कर अपने खेतों में जबरन मिला कर कब्जा करना चाहते हैं। दिनांक 16.08.2024 को प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर था कि वहां पर अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं कुछ अप्रार्थी आये और प्रार्थी से कहने लगे कि तुमने जो जमीन पर काश्त कर रखी है, वह भूमि तुम्हारे हिस्से से अधिक है तथा हमारे पास कम है। तुमने ज्यादा भूमि पर काश्त कर रखी है। इस कारण उक्त भूमि का पुनः विभाजन करेगें। तभी प्रार्थी ने उनसे कहा कि तहसील कार्यालय बैजूपाडा में चलते है और उक्त आराजी का अपने हिस्से व कब्जे के आधार पर विधिवत विभाजन करवा लेते है तथा विभाजन कराये जाने के बाद उक्त आराजी की पैमाईश करवा लेते है जिससे सभी का वहम निकल जायेगा। तभी अप्रार्थीगण ने कहा, हम कहीं नहीं जायेगे तथा हमारे लटठ में ताकत है, हम चाहे जिस स्थान पर कब्जा कर उसमें पक्का निर्माण कर सकते है और तुझे बेदखल कर सकते है तथा आराजी का विक्रय कर सकते है जिससे क्रेता आपके हिस्से की आराजी पर भी कब्जा कर लेगा। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को हाथ जोड कर काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन वो इसके लिये तैयार नहीं है और वो जबरन अपने हिस्से से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य करने तथा विक्रय करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अपनी इस योजना में सफल हो गये तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना लाजिम आया है। प्रार्थी विवादित आराजीयात प्रार्थना पत्र में 1/2 हिस्से का सहखातेदार है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। अप्रार्थीगण को दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबद नहीं किया गया तो वे प्रार्थी को उसके कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न कर सकते है या आराजी का विक्रय कर सकते है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जबकि अप्रार्थीगण को पाबंद करने पर उनको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। इस प्रकार अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को दौराने दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के विवादित आराजीयात में प्रार्थी के कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और ना ही किसी दीगर व्यक्तियों से ही करावे। प्रार्थी को शान्तिपूर्वक काबिज रहने दे तथा बिना विधिवत विभाजन के अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से का भी किसी को रहन बेचान नहीं करें तथा निर्माण आदि कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन नहीं करे। राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 23.08.2024 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

गयी कि उभय पक्ष ग्राम अलीपुर, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 428, 551, 553 लगायत 559, के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 2 लगायत 6, 9, 10 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया।

4. पत्रावली में रेशम पत्नी उम्मेदी तथा लाखन बाई पत्नी बनवारी, निवासी अलीपुर के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण विवादित आराजीयात सहखातेदार है। वादी ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करने से पूर्व उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थीगण को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है जबकि प्रार्थीगण रजिस्टर्ड खातेदार है जो आवश्यक पक्षकार है। वादी द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थीगणों को पक्षकार नहीं बनाने से प्रार्थीगण के हित प्रभावित हो सकते है। इसलिये न्याय हित में प्रार्थीगण रेशम पत्नि उम्मेदी व लाखन बाई पत्नि बनवारी को मुकदमा पक्षकार बनाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों की विधिवत सुनवाई की जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रार्थी की ओर से रेशम पत्नि उम्मेदी व लाखन बाई पत्नि बनवारी को क्रमशः अप्रार्थी सं 7 एवं 8 पर संयोजित कर संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया गया।

5. अप्रार्थी सं. 1, 7, 8 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को अन्य जगह अप्रार्थीगण के एवज का हिस्सा दे रखा है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के विवादित आराजीयात में 1/2 हिस्सा अन्य खाते की जमीन में अप्रार्थीगण के एवज का दे रखा है। विवादित आराजीयात पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है जबकि यदि माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अप्रार्थीगण व प्रार्थी की आराजी ग्राम अलीपुर, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में 2 खाता की जमीन है जिसमें एक खाता सं. 174 का गैरसायलान का कब्जा काश्त है तथा दूसरा खाता सं. 83 की आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। दोनों में बाहमी बॅटवारा कर उसी के अनुसार कब्जा काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के हिस्से में आयी बाहमी बंटवारा खाता सं 174 को हडपने के उद्देश्य से एक खाता की आराजी का बॅटवारा करवाने का दावा पेश किया है। प्रार्थी के हिस्से में आयी आराजी खाता सं. 83 की आराजी का बॅटवारा का दावा पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से एक खाते की आराजी का बॅटवारा का दावा पेश किया है। प्रार्थी को क्लीन हैण्ड से दोनों खातों की आराजी का बॅटवारा दावा पेश करना चाहिये था। इसलिए दावा व प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा के खारिज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

7. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र तकास्मा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार, विवादित आराजीयात के प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 दर्ज रिकॉर्ड सहखातेदार है तथा नामांतरकरण सं. 704 दिनांक 09.08.2024 बेचान खसरा सं. 428, 551, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559 पर रामसिंह पुत्र जयनारायण से रेशम देवी पत्नि उम्मेदी, रामसिंह पुत्र जयनारायण, लाखन बाई पत्नि बनवारी पर नामांतरकरण प्रक्रियाधीन है। स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात में अप्रार्थी सं. 7 रेशम देवी तथा 8 लाखन बाई के द्वारा हिस्सा क्रय किया गया है जिससे विवादित आराजीयात में रेशम देवी तथा लाखन बाई के विधिक अधिकार सृजित हो गये हैं। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। निषेधाज्ञा जारी रहने से अप्रार्थी सं. 7 रेशम देवी तथा अप्रार्थी सं. 8 लाखन बाई, विवादित आराजीयात में भूमि का क्रय किये जाने के बाद भी खातेदारी अधिकारों के उपभोग से वंचित हैं। इस कारण अपूरणीय क्षति तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। क्रयशुदा भूमि पर निषेधाज्ञा जारी रहने से अप्रार्थीगण को असुविधा तथा अपूरणीय क्षति होगी।

8. उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाते हैं। इसलिये अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा को जारी रखा जाना उचित नहीं है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आदेश

9. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम अलीपुर, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 428, 551, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, कुल रकबा 3.17 हैक्टे. हैक्टे. के सम्बन्ध में, अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2023 को जारी की गई अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

10. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 24.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)